भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/16/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

18 मार्च, 2026

जांच शुरूआत की अधिसूचना

मामला संख्याः - सीवीडी(ओआई)-02/2026

विषय: मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर" के आयात के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत।

1. फा.सं. 6/16/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीकृत वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है), ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष मिस्र (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर के सब्सिडीकरण का आरोप लगाते हुए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया है।

क. सब्सिडीकरण का आरोप

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों ने संबद्ध देश की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों दी गई कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ प्राप्त किया है, जिसमें विभिन्न उन प्रांतों और नगर पालिकाओं की

सरकारें शामिल हैं, जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, और अन्य सार्वजनिक निकाय शामिल हैं। आवेदक ने संगत सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों के संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों और अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है जो सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध हैं और उन अन्य जांच अधिकारियों के निर्धारण में शामिल हैं, जिन्होंने ऐसी योजनाओं की व्यापक जांच की थी और प्रतिकार योग्य सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी का निष्कर्ष निकाला था।

ख. परामर्श

3. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार, 12.03.2026 को मिस्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व-शुरुआती परामर्श आयोजित किए गए थे। मिस्र सरकार द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड में लिया गया है और उन्हें जांच के दौरान उचित रूप से विचार में लिया जाएगा।

ग. सब्सिडी कार्यक्रम

4. आवेदक द्वारा प्रदान किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों और निर्यातकों को मिस्र की सरकारों और/या उनके संबंधित सार्वजनिक निकायों द्वारा नीचे सूचीबद्ध कई सब्सिडी योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभ हुआ है। कथित सब्सिडी में प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण और संभावित प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण या देनदारियां शामिल हैं; सरकारी राजस्व जो अन्यथा देय है उसे छोड़ दिया जाता है या एकत्र नहीं किया जाता है; पर्याप्त परिलब्धि से कम के लिए सामानों और सेवाओं का प्रावधान; आदि।

क. औद्योगिक निवेश नकद प्रोत्साहन
ख. कारपोरेट कर प्रोत्साहन
ग. मशीनरी, उपकरण और कच्चे माल पर सीमा शुल्क छूट
घ. भूमि/बुनियादी ढांचा प्रोत्साहन
ड. मुक्त क्षेत्र/निवेश क्षेत्र लाभ
च. क्षेत्रीय/स्थान आधारित प्रोत्साहन
छ. निर्यात सब्सिडी/निर्यात छूट योजना

5. यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें मिस्र की सरकार या अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय, सार्वजनिक निकायों सहित वित्तीय योगदान शामिल है और प्राप्तकर्ता (ओं) को लाभ प्रदान करता है। इन योजनाओं को कुछ उद्यमों या उद्यमों के समूहों और या उत्पादों और/ या क्षेत्रों तक सीमित होने का भी आरोप लगाया गया है और इसलिए विशिष्ट और प्रतिकार योग्य हैं।

6. निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन अन्य सब्सिडियों की जांच करने का अधिकार है, जो जांच प्रक्रिया के दौरान संबद्ध सामानों के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा मौजूद पाई जाएं और उनके द्वारा ली गई हों।

घ. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

7. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है)। संबद्ध सामानों को प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम स्टुको और स्टुको पाउडर के रूप में भी जाना जाता है। जिप्सम रॉक को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट (सीएएसओ4. 2एच2ओ) कहा जाता है, जिसे नियंत्रित तरीके से गर्म किया जाता है, यह अपने क्रिस्टल संरचना से 1.5 पानी (एच2ओ) खो देता है ताकि स्टुको या जिप्सम प्लास्टर बन सके जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है।

8. संबद्ध सामान का उपयोग मुख्य रूप से भवन अनुप्रयोगों में प्लास्टर को समतल करने, सजावटी भवन तत्वों जैसे कॉर्निस और पीओपी शीट आदि के लिए किया जाता है। सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय शीर्ष 25 "खनिज उत्पाद: नमक; सल्फर; मिट्टी और पत्थर; प्लास्टर सामग्री, चूना और सीमेंट" के तहत संबद्ध उत्पादों को वर्गीकृत किया गया है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 25202010 है। तथापि, सामान 25 के अन्य शीर्षों के तहत भी आ रहे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से यह उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है और उत्पाद विवरण संघर्ष की परिस्थितियों में विद्यमान है।

9. आवेदक उद्योग ने कोई पीसीएन प्रस्तावित नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख या इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15

दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ड. <u>समान वस्तु</u>

10.आवेदक ने उल्लेख किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध सामानों और आवेदकों द्वारा निर्मित सामानों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित सामानों को प्रथम दृष्टया, मिस्र से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु माना गया है।

च. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

11. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

> *"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

12. यह आवेदन-पत्र मैसर्स सेंट गोबियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसजीआईपीएल) द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में कैल्सीन्ड जिप्सम पाउडर या जिप्सम प्लास्टर का प्रमुख उत्पादक (55%) है। **आवेदक ने** यह भी अनुरोध किया कि वर्तमान मामले

में संबद्ध सामानों के उत्पादक देश भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों से बिखरे हुए उद्योग हैं। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि उद्योग की प्रकृति और आकार के कारण प्रत्येक अलग अलग उत्पादक से उत्पादन से संबंधित आंकड़े एकत्र करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि भारत में उत्पाद के सकल घरेलू उत्पादन का कोई प्रकाशित रिकॉर्ड नहीं है और ऐसी सूचना किसी भी सरकारी या बाजार अनुसंधान एजेंसी द्वारा संकलित नहीं की गई है, तथापि, उनकी सूचना के अनुसार, वे भारत में संबद्ध सामानों के प्रमुख उत्पादक हैं।

13. आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि आवेदक या उसके किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं है। इसके अलावा, वे भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर,, प्राधिकारी ने आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग माना है, और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

झ. <u>शामिल देश</u>

14. यह आवेदन-पत्र मिस्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित सब्सिडीकरण के संबंध में दायर किया गया है। अतः, वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश मिस्र है।

ञ. <u>जांच की अवधि</u>

15. इस जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) तक है। क्षति की जांच की अवधि अप्रैल 2022 - मार्च 2023, अप्रैल 2023 - मार्च 2024, अप्रैल 2024 - मार्च 2025 और जांच की प्रस्तावित अवधि है।

ट. <u>चोट और कारण लिंक का आरोप</u>

16. आवेदक ने मिस्र से राजसहायता प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया *साक्ष्य प्रदान किए हैं* । विषय देश से आयात किए जाने वाले विषय की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूप में वृद्धि हुई है। कीमतों में सकारात्मक कटौती हो रही है और डंप किए गए आयातों के कारण कीमतों में कमी और अवसाद घरेलू उद्योग को प्रतिफल की उचित दर प्राप्त करने के लिए

अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोक रहा है। विषय आयात का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके कारण पीओआई में नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के इन्वेंट्री स्तर में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा प्रथम दृष्टया उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से पता चलता है कि मिस्र से कथित रियायती दर पर किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति हुई है।

ठ. <u>जांच की शुरुआत</u>

17.घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम *दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, जो सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पुष्टि करता है, प्राधिकरण एतद्द्वारा कथित सब्सिडी में एक एंटी-सब्सिडी जांच शुरू करता है और नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9बी के अनुसार, कथित सब्सिडी के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और सब्सिडी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ड. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारो से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल आईडी-सीवीडी/ओई/002/2026 पर अपलोड किए जाएंगे । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

19. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को संबद्ध सामानों से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

22. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov. को नियमित रूप से देखते रहें।

ढ. समय सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- सीवीडी/ओआई/002/2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोधों के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और सीवीडी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते है।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

25. PUC/PCN कार्यप्रणाली के दायरे पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की 15-दिन की अवधि इस प्रारंभिक सूचना के उपर्युक्त अनुच्छेद 22 में उल्लिखित समय सीमा के साथ समानांतर चलती है।

26. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते है, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार, 15 दिनों से अधिक के विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

27. समय बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध ऊपर पैरा 22 में निर्धारित मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ण. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

28. वर्तमान जांच में जहां कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना देता है, तो ऐसे पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह सीवीडी नियमावली के नियम 8 और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

29. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

30. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना" माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए।

33. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

34. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या

सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

36. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 8 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकारी, संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

त. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

थ. <u>असहयोग</u>

39. यह कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी